न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/365/2017

उनवान

1. आनन्दीराम पुत्र बंशीदास बैरागी, निवासी दरीबा , तहसील एवं जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र बंशीदास बैरागी, निवासी दरीबा, तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण
संख्या 66/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2017
एवं निर्णय दिनांक 11.4.2016

अधिवक्तागण :—

1. श्री बी एल वैष्णव , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अम्बा लाल कुमावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जेकाश्त की आराजी सरहद दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 86 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा आराजी नम्बर 87 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा उक्त आराजी के हाल आराजी नम्बर 67 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 67मी रकबा 1 बीघा 19 स्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा, कायम किये गये। उपरोक्त आराजियात पर वादी का 50 वर्षो से यानि संवत 2021 से पूर्व से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा उपयोग उपभोग में चली आ रही है। जो आमजन की जानकारी है तथा वर्तमान में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी पर संवत 2021 से वादी का कब्जाकाश्त बिना रोक–टोक चला आ रहा है जिससे वादी उक्त आराजी का एडवर्स पजेशन केआधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

2. वादी की बिना जानकारी के प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त आराजी को अपने नाम अन्य आराजी के साथ आवंटन करा लिया जो कुल 10 बीघा का आवंटन किया गया । जिसकी जानकारी होते ही वादी द्वारा आवंटन निरस्त करावाने हेतु प्रतिवादीसंख्या 1 को कहा जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को शांतिपूर्वक बिना रोक–टोक के कुल आवंटित आराजी संख्या 85 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 86 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 87 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 96 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा में वादी की कब्जेसुदा आराजी नम्बर 86 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, व आराजी नम्बर 87 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा पर उपयोग उपभोग करने की सहमति दी गई तथा बतौर सबूत राव की पौथी में भी दाखिला आवंटन का लगवाया तथा प्रतिवादी के आवंटन के बाद भी वादी का कब्जाकाश्त प्रतिवादी की जानकारी व आमजन की जानकारी में शांतिपूर्वक बिना रोक–टोक के आज दिन तक चला आ रहा है। जो करीब 50 वर्ष से पूर्व से चला आ रहा है जो 12 वर्ष से अत्यधिक होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार घोषित होने का अधिकारी है, जिस हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया, जो सहमत नहीं होने से यह वाद पत्र बाबत खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने हेतु पेश किया है। वादग्रस्त आराजी पर संवत 2021 से पूर्व से ही वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है इसलिए वे खातेदार काश्तकार हो गये हैं परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से व कीमते बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के मन में फितुर आ जाने से वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 1 जुलाई 2014 को वादी को कब्जा छुडवाने की धमकी दी । प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी वादग्रस्त आराजी को अन्य को विक्रय कर सकते हैं। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 86 व 87 क्रमशः 3 बीघा 02 बिस्वा व 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की पारित की जावेकि प्रतिवादी संख्या 1 वादी को वादग्रस्त आराजी में वर्णित आराजी नम्बर 86 व 87 रकबा क्रमशः 3 बीघा 0 2 बिस्वा व 1 बीघा 19 बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावे तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी/वादी का जवान पुत्र मांगी लाल को अचानक हार्ट अटेक आ जाने से दिनांक 8.6.2017 को देहान्त हो गया। जिसके सदमें से अपीलार्थी ग्रसित था। विचारण न्यायालय द्वारा कैम्प दरीबा की सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई व उक्त प्रकरण में दोनों पक्षकार के मध्य राजीनामा नहीं होने व लोक अदालत में राजीनामे से ही प्रकरण का निस्तारण होने से अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण के कैम्प में जाने की जानकारी नहीं दी । जिससे कैम्प की जानकारी नहीं हो सकी तथा कैम्प दरीबा की तारीख दिनांक 17.11.2017 को होने से न्यायालय में आया तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। तब अपीलार्थी ने निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब आना शेष था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के जवाब पेश नहीं होने पर भी बिना किसी आधार के वाद पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल फरमाई है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी को सुनवाई का अवसर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिये बिना व साक्ष्य का अवसर दिये बिना मनमकसूद तरीके से मात्र कैम्प का लक्ष्य पूरा करने की गरज से तथाकथित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ वादग्रस्त आराजी को हाल नम्बर व साबिक नम्बर के मिलान के लिये मिलान खसरा संवत 2026 पेश किया गया । जिसमें कॉलम संख्या 26 में " आनन्दीराम पुत्र बंशी दास बैरागी अतिक्रमी संवत 2021 से " अंकित है , जिसकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वरा पत्रावली को कैम्प कोर्ट दरीबा में रखे जाने बाबत कोई नोटिस वादी को नहीं दिया व न ही सुनवाई का अवसर दिया गया तथा न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण का जवाब लिया जाकर सम्पूर्ण साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे तथा साथ ही निवेदन किया कि अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण को कैम्प कोर्ट में निस्तारण किया है । कैम्प दरीबा दिनांक 14.07.2017 को प्रकरण रखे जाने की कोई सूचना अपीलार्थी/वादी को नहीं दी गई जबकि पूर्व आदेशिका अनुसार आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.07.2017 नियत की गई। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों की जरिये तलवाना तलबी किये जाने के साथ ही प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.7.2014 नियत की गई। दिनांक 28.7.2014 को वर्क सस्पेण्ड होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.9.2014 नियत की गई। उसके उपरान्त क्रमशः 15.9.2014, 13.10.2014, 17.11.2014, 19.12.2014, 6.2.2015 एवं 20.3.2015 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से तारीख पेशियॉ बदली जाती रही है। दिनांक 6.2.2015 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.4.2015 नियत की गई। नियत तारीख पेशी दिनांक 28.4.2015 को प्रतिवादी के सम्मन तामील नहीं होने से सम्मन पुनः पेश

करने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.5.2015 नियत की गई।

13. दिनांक 11.5.2015 के उपरान्त पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने, पीठासीन अधिकारी के अवकाश में होने एवं वर्क सस्पेंण्ड होने के कारण प्रकरण में तारीख पेशियॉ बदली जाती रही । दिनांक 21.4.2017 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.7.2017 नियत की गई। परन्तु अहकाम से स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.7.2017 से पूर्व ही प्रकरण को कोर्ट कैम्प दरीबा में दिनांक 14.07.2017 को रखा गया । प्रकरण को नियत तारीख से पूर्व कैम्प कोर्ट में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को नोटिस द्वारा सूचित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण को कैम्प कोर्ट में नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष को नोटिस जारी किये जाने बाबत कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। न ही किसी अन्य माध्यम से सूचित किया गया।

14. अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.4.2017 में कैम्प कोर्ट में वादी अथवा प्रतिवादीगण में से किसी की भी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति बाबत अंकन नहीं किया गया है। ऐसे में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने के उपरान्त भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता। पत्रावली से स्पष्ट होता है आदेश दिनांक 14.04.2017 तक प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस की तामील ही हो पाई थी। **''आदेशिका दिनांक 28.4.2015 के अनुसार वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी के सम्मन तामील नहीं हुए हैं अतः सम्मन पुनः पेश करे। प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 11.5.2015 को पेश हो** '' उक्त आदेशिका के उपरान्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई थी। प्रकरण में प्रतिवादीगण की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तामील ही नहीं हो पाई थी। प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी में नियत था। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर विधिक प्रकिया का पालन नहीं कर नियत तारीख से भिन्न कैम्प कोर्ट दरीबा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निरस्त किया जाकर प्रकरण में बाद साक्ष्य, सुनवाई निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.7.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब दावा लिये जाने के उपरान्त तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 4/10/19 को उपस्थित रहे।

16. निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा